न्याय निर्णयन अधिकारी एंव अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी श्री ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 21/2014

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
श्री भूराराम गोदारा खाध सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर		1. हनुमानाराम पुत्र गोमाराम जाति चौधरी निवासी गांव मेली तहसील सिवाना (फर्म मैसर्स हनुमान जनरल स्टोर सिवाना का मालिक) 2. पुखराज पुत्र वजाजी निवासी 182, मेघवालो का वास वार्ड नं. 19 सुमेरपुर जिला पाली (मैसर्स अम्बिका ब्रोकर्स सुमेरपुर पाली फर्म मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम,2006 व नियम 2011

उपस्थितः—1.श्री दौलतराम सहायक लोक अभियोजक प्रथम प्रार्थी की ओर से।
2.श्री जसवन्त बोहरा अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से।
3.अप्रार्थी संख्या 02 एकतरफा।

निर्णय **दिनांक 24.01.2017**

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 22.06.2013 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर के दौराने गश्त मय सरकारी वाहन प्रातः 11.00 बजे मैसर्स हनुमान जनरल स्टोर बालोतरा रोड़, सिवाना जिला बाड़मेर पहुचंने पर दुकान में एक व्यक्ति बैठा हुआ था, जिसका नाम व पता पूछने पर अपना नाम हनुमानाराम पुत्र गोमाराम जाति चौधरी निवासी गांव मेली तहसील सिवाना जिला बाड़मेर बताया। दुकान का निरीक्षण करने पर दुकान में अन्य किराणा खाद्य सामग्री के साथ सरसो तेल ब्राण्ड दुर्गा (500 एम.एल.) की 20 बोतले एक कार्टून में रखी हुई पाई गई। उक्त सरसो तेल ब्राण्ड दुर्गा में मिलावट का संदेह होने पर रूबरू गवाह के समक्ष मालिक विक्रेता को जरिये रसीद संख्या 152 के द्वारा रूपये 220/— नगद अदा कर 500—500 एल.एल. की 4 सीलबन्द बोतले क्रय की गई एवं रूपयो की रसीद/केश मीमो प्राप्त की। विक्रेता व गवाह के सामने 4 लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर पी.481 खाध पदार्थ का विवरण एंव नमूना लेने का स्थान एंव दिनांक अंकित की गई। चार पैकेटो को चार भागों में बांट कर उन पर लेबल चिपकाया जाकर प्रार्थी व गवाहो व मालिक विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। प्रत्येक नमूने को मोटे व खाखी कागज में लपेट कर इस पर पेपर स्लीप कोड एंव सिरियल नम्बर पी—481 नियमानुसार सील बंद किया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

प्रत्येक नमूने पर विवरण लिख कर प्रार्थी व गवाहो ने पेपर स्लीप को क्रॉस करते हुए हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए भरकर गवाहो के हस्ताक्षर कराये जिसकी प्रति मालिक विक्रेता को दी गई। मौके पर ही गवाहो की उपस्थिति में मौकाफर्द तैयार की गयी। समस्त कार्यवाही पूर्ण करने के बाद कार्यालय आकर नमूना पी–481 जॉच हेतु खाद्य विश्लेषक खाध सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। फार्म नम्बर 06 की प्रतियां तैयार की गयी। नमूना सील जिसका प्रयोग सेम्पल लेते वक्त नमूना सील करने में किया गया। एक प्रति नमूने के साथ रखकर आउटर कवर के साथ उसी ब्राससील से सील किया जिसका प्रयोग चारो नमूनो को सीलबन्द करने में किया गया एंव आउटर कवर पर नमूना विवरण अंकित किया गया एंव एक लिफाफे में फार्म नम्बर 06 की एक प्रति रखकर खाद्य सुरक्षा लैब जोधपुर का पता अंकित कर ब्राससील द्वारा लिफाफे को सील बन्द किया गया। नमूनो के शेष दूसरा, तीसरा व चौथा मय फार्म नम्बर 06 की एक प्रति आउटर कवर में ब्राससील से सील कर सील अवस्था में अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाड़मेर को भिजवाने जाने का उल्लेख किया गया। प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि खाद्य पदार्थ सरसो तेल ब्राण्ड दुर्गा की नमूना जांच रिपोर्ट फूड एनालिस्ट जोधपुर के क्रमांक एलएस/309/एक्ट/2013/322 दिनांक 05.07.2013 से अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार नमूना जॉच में खाद्य पदार्थ सरसो तेल ब्राण्ड दुर्गा का नमूना पी–481 अवमानक स्तर (Sub Standard/Does not conform) का होना पाया गया। जॉच में sub-standard पाये गये खाद्य पदार्थ सरसो तेल ब्राण्ड दुर्गा का विक्रय करना खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन पाये जाने के आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बाड़मेर ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र का नोटिफिकेशन एंव संशोधित नोटिफिकेशन की प्रति, फार्म नम्बर 5 ए,नमूना, खरीद रसीद, मौका फर्द, नमूना पी–481 जॉच रिपोर्ट अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत लिखे गये पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

2. परिवाद प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से श्री जसवन्त बोहरा अधिवक्ता उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या 02 एकतरफा।

3. हमने दोनो पक्षो की बहस सुनी। अप्रार्थी संख्या 01 के विद्वान वकील द्वारा बहस के दौरान् निवेदन किया कि उसके द्वारा सरलो का तेल मैसर्स अम्बिका ब्रोकर्स सुमेरपुर पाली से खरीदा

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

गया है। सरसो तेल में उसके स्तर से किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई। अप्रार्थी पर कम से कम जुर्माना आरोपित करते हुए प्रकरण का निस्तारण कराया जावें।

4. प्रार्थी की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रथम बाड़मेर ने तर्क किया कि दिनांक 22.06.2013 को जांच के दौरान् सरसो तेल ब्राण्ड दुर्गा (500 एमएल) में मिलावट होने का संदेह होने पर नियमानुसार लिया गया नमूना फूड एनालिस्ट राज. जोधपुर की गई जॉच में नमूना पी–481 अवमानक स्तर (Sub Standard/Does not conform) का पाया गया जो खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है। इसलिये अप्रार्थीगण पर जुर्माना आरोपित किया जाए।

5. हमने सहायक लोक अभियोजक प्रथम की बहस सुनी। परिवाद में वर्णित तथ्यों एंव इसके संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विशलेषक जोधपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/309/एक्ट/2013/322 दिनांक 05.07.2013 के अनुसार अप्राथीगण द्वारा बेचा जा रहा खाद्य पदार्थ सरसों तेल ब्राण्ड दुर्गा का सेंपल जॉच में sub-standard स्तर का पाया गया, जिसके लिये अभियुक्त अप्रार्थीगण दोषी प्रतीत होते है।

6. अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण हनुमानाराम वगैरहा द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) उल्लंघन किया गया है। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में sub-standard पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। अतः खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन करने एंव अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत अभियुक्त हनुमानाराम वगैरहा (प्रत्येक पर) पर रूपये 10000–10000/– (अक्षरे रूपये दस–दस हजार मात्र) शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्तगण उपरोक्त शास्ति की राशि मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय तारीख 24.01.2017 से एक माह के अंदर–अंदर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें।

(ओ0पी0बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अति. जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 24.01.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अति. जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर